तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/6196/2006/राजसमन्द** **सरकार बनाम गलनाथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
26-08-2025	**एकलपीठ** **श्री महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य** **उपस्थितः–** श्री तेजेन्द्र सिंह, उप–राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से। विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित। **आदेश** 1– यह रेफरेंस न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 28–02–2006 के द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है। 2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, भू0अ0 कुम्भलगढ ने एक रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि बंदोबस्त सम्वत् 2008 में मौजा नीमडी की आरी खसरा नम्बर 348, 349, 350 कुल किता 03 कुल रकबा 03 बीघा 14 बिस्वा भूमि महादेव जी स्थान देह पुजारी उदेनाथ वल्द लछेनाथ अंकित है। बंदोबस्त सम्वत् 2008 के बाद बनने वाली जमाबंदी अनुसार पुजारी से खातेदार में दर्ज हो गयी। उक्त आराजी बंदोबस्त सम्वत् 2008 में श्री महादेव जी स्थान देह के नाम दर्ज थी। उपरोक्त भूमि पुजरानी श्री उदेनाथ वल्द लालनाथ नाथ के नाम जमाबंदी सम्वत् 2024–27 में खातेदारी से दर्ज कर दी गयी। उपरोक्त भूमि ग्राम नीमडी तहसील कुम्भलगढ में श्री महादेव जी स्थान देह की भूमियां है श्री उदेनाथ्ज्ञ वल्द लालनाथ्ज्ञ नाथ इसके पुजरी मात्र थे। भूमि अब देवमूर्ति श्री महादेव जी स्थान देह के नाम अंकित होनी चाहिए। अतः रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम नीमडी तहसील कुम्भलगढ की आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 350 रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि पुजारी गलानाथ पिता उदयनाथ के नाम हटाई जाकर श्री महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज की जावे। 3– न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द ने अपने आदेश दिनांक 28–02–2006 के द्वारा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण मण्डल को अभिशंषा हेतु प्रेषित किया है। 4– रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/6196/2006/राजसमन्द** **सरकार बनाम गलनाथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	5– योग्य उप राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रश्नगत भूमि महादेव जी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज थी। बाद में बिना किसी आधार व आदेश के श्री महादेवजी स्थानदेह के नाम से विवादित भूमि की खातेदारी हटा कर अप्रार्थी की खातेदारी में दर्ज कर दी गई जो अवैध एवं अनुचित है। मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर सेवक/पुजारी या किसी भी अन्य व्यक्ति को काश्त करने से कोई स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं होते है और यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। अतः भूमि को अप्रार्थी की निजी खातेदारी से हटा कर पूनः श्री महादेव जी स्थानदेह के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया जावे। 6– हमने विद्वान अभिभाषक प्रार्थी के तर्को पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी भू प्रबंध विभाग सम्वत् 2009 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नीमडी में स्थित आराजी खसरा नम्बर 348 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 349 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा संख्या 350 रकबा 18 बिस्वा कुल 3 किता कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि श्री महादेव जी स्थानदेह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है जिसपर उदेनाथ वल्द लदेनाथ पुजारी दर्ज है। नकल जमाबंदी सम्वत् 2060–63 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम नीमडी में स्थित खाता संख्या नया 27 में खसरा नम्बर 348 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 349 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा एवं खसरा संख्या 350 रकबा 18 बिस्वा भूमि कुल 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि गलनाथ पिता उदयनाथ हि0 1/2 शंकरनाथ, लहरनाथ पिता गिरधारी हि0 1/2 के नाम संयुक्त रूप से खातेदारी में दर्ज है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से साबित है कि विवादित भूमि पूर्व में श्रीमहादेव स्थान देह के नाम खातेदारी में दर्ज रिकार्ड थी जो बाद में अप्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज कर दी गई। चूँकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि मूर्ति मंदिर की भूमि किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में अंकित नहीं की जा सकती। मंदिर आदि शाश्वत् नाबालिग है और मंदिर की भूमियों पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रावधानों के अन्तर्गत किसी अन्य व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। मंदिर की खुदकाश्त भूमि पर किसी व्यक्ति द्वारा काश्त करने पर भी वह मंदिर की खुदकाश्त मानी जावेगी। काश्त करने के आधार पर कृषक/पुजारी/सेवक को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/6196/2006/राजसमन्द** **सरकार बनाम गलनाथ व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि आराजी खसरा नम्बर 348, 349, 350 कुल किता 03 कुल रकबा 3 बीघा 14 बिस्वा भूमि पुजारी गलानाथ पिता उदयनाथ के नाम हटाई जाकर श्री महादेवजी स्थान देह के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख आदेश की प्रति के साथ नियमानुसार भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	